



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 45/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2019-20

दिनांक 20 जुलाई, 2021

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग- समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) मुख्य परीक्षा- 2020

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग- समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2020 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के सापेक्ष दिनांक 21 मार्च, 2021 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का परिणाम, विज्ञप्ति संख्या : 06/10/G-02/GIC(G&W)-20/2020-21, दिनांक 07 जुलाई, 2021 द्वारा घोषित किया गया है।

2- स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए, सन्निरीक्षा (स्कूटनी) का कार्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जा सके :-

क्र. सं.	पद/विषय	शाखा	तिथि	अनुक्रमांक से अनुक्रमांक तक
01	02	03	04	05
1.	प्रवक्ता कला (कुल 15 अभ्यर्थी)	सामान्य	09.08.2021	800827 से 843203 तक
2.	प्रवक्ता मनोविज्ञान (कुल 15 अभ्यर्थी)	सामान्य	09.08.2021	804547 से 846641 तक
3.	प्रवक्ता कृषि (कुल 15 अभ्यर्थी)	सामान्य	09.08.2021	807622 से 848889 तक
4.	प्रवक्ता समाजशास्त्र (कुल 127 अभ्यर्थी)	सामान्य	09.08.2021	800128 से 849239 तक
5.	प्रवक्ता इतिहास (कुल 133 अभ्यर्थी)	सामान्य	09.08.2021	800343 से 849412 तक
6.	प्रवक्ता संस्कृत (कुल 333 अभ्यर्थी)	सामान्य	10.08.2021	800092 से 805892 तक
			11.08.2021	805963 से 819650 तक
			12.08.2021	819746 से 826955 तक
			13.08.2021	827060 से 834129 तक

			14.08.2021	834140 से 842545 तक
			16.08.2021	842602 से 849426 तक
7.	प्रवक्ता भूगोल (कुल 373 अभ्यर्थी)	सामान्य	17.08.2021	800114 से 808459 तक
			18.08.2021	808472 से 821486 तक
			20.08.2021	821498 से 826605 तक
			21.08.2021	826619 से 830862 तक
			23.08.2021	830895 से 838297 तक
			24.08.2021	838346 से 849302 तक
8.	प्रवक्ता गणित (कुल 274+35 अभ्यर्थी)	सामान्य/महिला	25.08.2021	800035 से 811266 तक
			26.08.2021	811303 से 822942 तक
			27.08.2021	823046 से 833091 तक
			28.08.2021	833181 से 841423 तक
			31.08.2021	841972 से 849431 तक
9.	प्रवक्ता नागरिक शास्त्र (कुल 692 अभ्यर्थी)	सामान्य	10.08.2021	800053 से 803123 तक
			11.08.2021	803145 से 805869 तक
			12.08.2021	805901 से 811981 तक
			13.08.2021	812141 से 819281 तक
			14.08.2021	819346 से 822418 तक
			16.08.2021	822499 से 826828 तक
			17.08.2021	827029 से 830380 तक
			18.08.2021	830432 से 833561 तक
			20.08.2021	833600 से 837440 तक
			21.08.2021	837484 से 840159 तक
			23.08.2021	840208 से 844083 तक
			24.08.2021	844084 से 849185 तक
10.	प्रवक्ता जीव विज्ञान (कुल 908+47 अभ्यर्थी)	सामान्य/महिला	10.08.2021	800064 से 802967 तक
			11.08.2021	802968 से 805536 तक
			12.08.2021	805555 से 809705 तक
			13.08.2021	809831 से 813973 तक
			14.08.2021	813996 से 818596 तक
			16.08.2021	818650 से 821206 तक
			17.08.2021	821240 से 823193 तक
			18.08.2021	823212 से 825512 तक
			20.08.2021	825538 से 828333 तक
			21.08.2021	828383 से 830382 तक
			23.08.2021	830405 से 832901 तक

			24.08.2021	832911 से 835911 तक
			25.08.2021	835939 से 839823 तक
			26.08.2021	839843 से 842598 तक
			27.08.2021	842674 से 849451 तक
11.	प्रवक्ता भौतिक शास्त्र (कुल 907 अभ्यर्थी)	सामान्य	10.08.2021	800054 से 803522 तक
			11.08.2021	803549 से 806962 तक
			12.08.2021	806995 से 810723 तक
			13.08.2021	810730 से 813756 तक
			14.08.2021	813880 से 818304 तक
			16.08.2021	818383 से 820368 तक
			17.08.2021	820486 से 823082 तक
			18.08.2021	823209 से 825366 तक
			20.08.2021	825376 से 828024 तक
			21.08.2021	828042 से 831129 तक
			23.08.2021	831184 से 834046 तक
			24.08.2021	834048 से 836727 तक
			25.08.2021	836757 से 839496 तक
			26.08.2021	839503 से 842889 तक
			27.08.2021	842908 से 849406 तक
12.	प्रवक्ता रसायन शास्त्र (कुल 966+52 अभ्यर्थी)	सामान्य/महिला	10.08.2021	800037 से 802946 तक
			11.08.2021	803051 से 805870 तक
			12.08.2021	805876 से 809103 तक
			13.08.2021	809229 से 812096 तक
			14.08.2021	812111 से 815409 तक
			16.08.2021	815491 से 818872 तक
			17.08.2021	818922 से 821773 तक
			18.08.2021	821826 से 824072 तक
			20.08.2021	824175 से 827238 तक
			21.08.2021	827376 से 830108 तक
			23.08.2021	830166 से 833214 तक
			24.08.2021	833217 से 837206 तक
			25.08.2021	837279 से 840652 तक
			26.08.2021	840674 से 842927 तक
			27.08.2021	843022 से 846134 तक
			28.08.2021	846139 से 849355 तक

13.	प्रवक्ता अंग्रेजी (कुल 1380+01 अभ्यर्थी)	सामान्य/महिला	10.08.2021	800018 से 801622 तक
			11.08.2021	801663 से 803209 तक
			12.08.2021	803226 से 805044 तक
			13.08.2021	805045 से 806871 तक
			14.08.2021	806887 से 809189 तक
			16.08.2021	809196 से 811875 तक
			17.08.2021	811898 से 814344 तक
			18.08.2021	814363 से 817418 तक
			20.08.2021	817437 से 819618 तक
			21.08.2021	819635 से 821598 तक
			23.08.2021	821672 से 823441 तक
			24.08.2021	823494 से 825387 तक
			25.08.2021	825415 से 826976 तक
			26.08.2021	827030 से 828671 तक
			27.08.2021	828683 से 830520 तक
			28.08.2021	830524 से 832458 तक
			31.08.2021	832466 से 834762 तक
			01.09.2021	834776 से 837196 तक
			02.09.2021	837219 से 838681 तक
			03.09.2021	838709 से 840971 तक
04.09.2021	840997 से 843201 तक			
06.09.2021	843209 से 845722 तक			
07.09.2021	845729 से 849385 तक			
14.	प्रवक्ता अर्थशास्त्र (कुल 1423+46 अभ्यर्थी)	सामान्य/महिला	10.08.2021	800093 से 802010 तक
			11.08.2021	802023 से 803309 तक
			12.08.2021	803325 से 805116 तक
			13.08.2021	805119 से 807236 तक
			14.08.2021	807256 से 809524 तक
			16.08.2021	809568 से 811677 तक
			17.08.2021	811725 से 813927 तक
			18.08.2021	813985 से 816874 तक
			20.08.2021	816898 से 819651 तक
			21.08.2021	819665 से 821995 तक
			23.08.2021	822020 से 823772 तक
			24.08.2021	823777 से 825518 तक
			25.08.2021	825537 से 827318 तक

			26.08.2021	827344 से 828961 तक
			27.08.2021	828978 से 830761 तक
			28.08.2021	830770 से 832978 तक
			31.08.2021	832999 से 834671 तक
			01.09.2021	834818 से 836441 तक
			02.09.2021	836469 से 838519 तक
			03.09.2021	838540 से 840501 तक
			04.09.2021	840505 से 842251 तक
			06.09.2021	842265 से 844200 तक
			07.09.2021	844231 से 847404 तक
			08.09.2021	847548 से 849453 तक
15.	प्रवक्ता हिन्दी (कुल 2604+33 अभ्यर्थी)	सामान्य/महिला	10.08.2021	800012 से 800874 तक
			11.08.2021	800879 से 801717 तक
			12.08.2021	801735 से 803817 तक
			13.08.2021	803825 से 805390 तक
			14.08.2021	805400 से 807517 तक
			16.08.2021	807565 से 810583 तक
			17.08.2021	810604 से 813375 तक
			18.08.2021	813412 से 817455 तक
			20.08.2021	817460 से 819650 तक
			21.08.2021	819680 से 821892 तक
			23.08.2021	821907 से 823834 तक
			24.08.2021	823840 से 826312 तक
			25.08.2021	826320 से 827958 तक
			26.08.2021	827969 से 829775 तक
			27.08.2021	829800 से 831301 तक
			28.08.2021	831302 से 832561 तक
			31.08.2021	832566 से 833724 तक
			01.09.2021	833730 से 836251 तक
			02.09.2021	836290 से 838644 तक
			03.09.2021	838650 से 841214 तक
			04.09.2021	841221 से 843774 तक
			06.09.2021	843791 से 846236 तक
			07.09.2021	846337 से 849434 तक
			08.09.2021	----

नोट— (i) प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य, परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 09:30 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(ii) जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक एक से अधिक विषय अथवा शाखा में सफल घोषित होने के कारण भिन्न-भिन्न तिथियों में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित हैं, उन अभ्यर्थियों के समस्त विषयों/शाखाओं के अभिलेख, प्रथम तिथि जिस पर उन्हें उपस्थित होना है, पर ही जांच लिए जायेंगे।

3—इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सेट के साथ नियत तिथि को, आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे—

(क) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)

(ख) प्रमाणीकरण-प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)

(ग) देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)।

ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय अथवा शाखा हेतु सफल घोषित हुए हैं, उन्हें प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु उपरोक्त प्रपत्रों व नीचे लिखे अभिलेख 02 सेट में तैयार कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4— अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु पृथक-पृथक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे :-

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) स्नातक उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/समस्त सेमेस्टर की)।
- 4) स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/समस्त सेमेस्टर की)।
- 5) एल0टी0 डिप्लोमा या शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
- 6) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)।
- 7) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 8) विज्ञापन के बिन्दु सं0-2(2) में उल्लिखित नोट "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में आनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण पत्र।
- 9) यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 10) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
- 11) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।
- 12) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 716/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/2019-20 दिनांक 10 फरवरी, 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद

(ग्रेड-पे 4800) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रेषित करें।

13) यदि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (**Examining Body**) ने नियमित प्रमाण-पत्र (**Certificate**) अथवा उपाधि (**Degree**) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (**Provisional Certificate**) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

14) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।

15) मुख्य परीक्षा हेतु जमा किये गये ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के रसीद व आवेदन पत्र का प्रिंटआउट।

16) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों/शाखाओं में सफल घोषित हुये हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गयी प्राथमिकता (**Preference**) सूची की प्रति एवं बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुदिव्यांग की उपश्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति।

17) उपरोक्त क्रमांक 1) से 16) पर वांछित अभिलेखों की चैकलिस्ट। (अभ्यर्थी वेबसाइट से चैकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें)

5- मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को शाखावार एवं विषयवार पृथक-पृथक (जितनी शाखाओं एवं विषयों हेतु सफल घोषित किया गया है, उनके लिए पृथक-पृथक शुल्क) अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार निम्नवत् परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

(**Net Banking/Debit Card/Credit Card** के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर दिनांक 01 अगस्त, 2021 से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा)

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रु0 150/-	रु0 26.55/-	रु0 176.55/-
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150/-	रु0 26.55/-	रु0 176.55/-
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150/-	रु0 26.55/-	रु0 176.55/-
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रु0 60/-	रु0 26.55/-	रु0 86.55/-
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रु0 60/-	रु0 26.55/-	रु0 86.55/-

06	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (विषयवार चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रु0 26.55/-	रु0 26.55/-
07	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

6- ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों/शाखाओं में सफल घोषित हुये है, उन्हें मुख्य परीक्षा के अन्तिम चयन परिणाम हेतु निम्न में से किसी एक आधार पर ऑनलाइन प्राथमिकता (Preference) दर्ज करनी है :-

i- विषय /शाखा के आधार पर प्राथमिकता (Preference) दर्ज किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन उच्च प्राथमिकता दर्ज विषय एवं शाखा हेतु किया जायेगा।

ii- प्राप्तांक/शाखा के आधार पर प्राथमिकता (Preference) दर्ज किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन उच्च प्राप्तांक विषय एवं उच्च प्राथमिकता दर्ज शाखा हेतु किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक विषय/शाखा में होने की दशा में, अभ्यर्थी द्वारा दर्ज प्राथमिकता (Preference) के आधार पर अभ्यर्थी को एक ही पद (विषय/शाखा) हेतु संस्तुत किया जाएगा।

7- ऐसे अभ्यर्थी जो बहुदिव्यांगता की श्रेणी में सफल घोषित हुये हैं, उन्हें विज्ञापन के बिन्दु संख्या-01 में दिव्यांगता हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष विषयवार दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु अपनी धारित बहुदिव्यांगता श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न उपश्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन/अंकन ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ करना होगा।

8- मुख्य परीक्षा हेतु एक से अधिक विषय/शाखा में सफल घोषित अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता (Preference) एवं बहुदिव्यांगता की श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी अपनी बहुदिव्यांगता की उपश्रेणी का अंकन सावधानी पूर्वक एवं त्रुटिरहित करना सुनिश्चित करें। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकता (Preference) एवं बहुदिव्यांगता की उपश्रेणी के दावे में परिवर्तन के संबंध में किये गये अनुरोध/प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा किसी भी दशा में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

9- ऑनलाइन परीक्षा शुल्क, प्राथमिकता (Preference) एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न उपश्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन/अंकन दर्ज किये जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर दिनांक 01 अगस्त, 2021 से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा

10— यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु सीधे तौर पर अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

11— विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले तथा अभिलेखों की जांच के समय समस्त वांछित मूल प्रमाण-पत्र व छायाप्रतियां प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

12— आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

13— अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित समस्त नियमों, प्रोटोकाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। बिना मास्क प्रवेश निषिद्ध होगा।

sd/-
(कर्मन्द् सिंह)
सचिव।

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग- समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) मुख्य परीक्षा- 2020

Check List

क्र०सं०	प्रमाण पत्र का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
02	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	दे"ाना प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
05	हाईस्कूल अंकतालिका	
06	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र	
07	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
08	स्नातक उपाधि या डिग्री *	
09	स्नातक अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)**	
10	परास्नातक उपाधि या डिग्री *	
11	परास्नातक अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की) **	
12	एल०टी० डिप्लोमा प्रमाण-पत्र	
13	शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बी०एड०) उपाधि*	
14	शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बी०एड०) अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की) **	
15	अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा का प्रमाण-पत्र
		नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र

		एन0एस0एस0 का 'सी' प्रमाण-पत्र	
16	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)***		
17	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड दिव्यांग/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)		
18	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।		
19	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।		
20	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 716/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/ 2019-20 दिनांक 10 फरवरी, 2021 के सापेक्ष आयुसीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड-पे 4800) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
21	अभ्यर्थी यदि किसी सेवा में सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।		
22	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति के नाम में विभिन्न प्रमाण-पत्रों में साम्य न हो, तथा भिन्नता हो, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।		
23	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।		
24	मुख्य परीक्षा हेतु जमा किये गये ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के रसीद व आवेदन पत्र का प्रिंटआउट।		

25	ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों एवं/अथवा शाखाओं में सफल घोषित हुये है, द्वारा ऑनलाइन भरी गयी प्राथमिकता (Preference) सूची की प्रति।	
26	बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुदिव्यांग की उपश्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति।	
27	विज्ञापन के बिन्दु सं०-2(2) में उल्लिखित नोट "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण-पत्र। निम्न में से जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो:-	
	1. Registration in any District Employment Office located in Uttarakhand State.	
	2. Are you employed?	
	3. Have you passed your High School And intermediate or any other equivalent exams from any recognized instituin situated in the State of Uttarakhand.	
	4. Are you or your spouse or your parents regular employee of the armed forces/para military forces OR State Goverment/semi government organization OR Central Government oraganization/Central Government Public service undertaking serving in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the State of Uttarakhand	
	5. Are you OR your spouse/parents permanent resident of Uttarakhand, but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes.	

*यह स्पष्ट किया जाता है कि मा० आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र/उपाधि अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (**Examining Body**) ने नियमित प्रमाण-पत्र (**Certificate**) अथवा उपाधि

(Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र **(Provisional Certificate)** मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिए।

******अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर की समस्त वर्षों की अंकतालिकाएं अथवा सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार समस्त सेमेस्टर्स की अंक तालिकाएं उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। केवल अन्तिम वर्ष/फाइनल सेमेस्टर की अंकतालिका जांच में अपूर्ण मानी जायेगी।

*******एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 30.12.2020 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो तथा दिनांक 30.12.2020 तक वैध हो।

नोट-1. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त अभिलेख विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30.12.2020 तक वैध होना अनिवार्य है।

2. अभ्यर्थी इस चेकलिस्ट को पूर्ण रूप से भरते हुए अभिलेखों की जांच के समय अनिवार्य रूप से साथ लायें।